(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 58/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 12 दिसम्बर, 2018

विषयः प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.63 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.63(क) में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

एचबीपी पैरा	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.63(क): राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों और प्रदर्शनों के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएं	पुनः निर्यात/पुनः आयात आधार पर छः महीने की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेलों या इसी प्रकार के शो या डिस्प्ले में विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों के अस्थायी स्टैंडों के लिए आवश्यक निर्माण और सजावटी सामग्रियों सहित प्रदर्शनी की वस्तुओं जिनका मुक्त रूप से आयात/निर्यात किया जा सकता है, का आयात/निर्यात सीमा शुल्क विभाग या एटीए कार्नेट को बाँड/प्रतिभूति जमा करने पर प्राधिकार पत्र के बिना अनुमत होगा।	''प्रतिबंधित'' या स्कोमेट सूची की मदों को छोड़कर, पुनः निर्यात/पुनः आयात आधार पर छः महीने की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेलों या इसी प्रकार के शो या डिस्प्ले में विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों के अस्थायी स्टैंडों के लिए आवश्यक निर्माण और सजावटी सामग्रियों सहित प्रदर्शनी की वस्तुओं का आयात/निर्यात सीमा शुल्क विभाग या एटीए कार्नेट को बाँड/प्रतिभूति जमा करने पर प्राधिकार पत्र के बिना अनुमत होगा।

2. **<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:</u>** प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.63(क) के तहत प्रावधानों में संशोधन किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/93/180/67/एएम–16/पीसी–2(ख)/2/ई 13500 से जारी]